बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0 आ0०स० :–3/अ0प्र0–1–112/2014 36 /पटना, दिनांक :– 3.5.24

स्व0 मुंशी अहमद, तदेन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 के मरणोपरान्त उनके सेवान्त लाभों के भुगतान हेतु स्व0 अहमद के पुत्र से 40 हजार रूपये रिश्वत लेने संबंधी आरोपों पर श्री ईफ्तखारूल हक, तदेन पत्राचार लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत कार्यालय आदेश सं0 47 दिनांक 03.05.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इसके निमित्त अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा पत्रांक 27 अनु0 दिनांक 01.04.2021 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य अंकित किया गया कि विभागीय कार्यवाही के क्रम में शिकायतकर्ता श्रीमती ताहिरा खातून एवं उनके पुत्र द्वारा बताया गया कि उनको सेवान्त लाभ का भुगतान हो चुका है एवं उन्हें अब कोई शिकायत नहीं है। सुनवाई के क्रम में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिससे कि आरोप प्रमाणित हो सके। इस आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं होता है का निष्कर्ष अंकित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि कोषागार मुजफ्फरपुर से सम्पर्क करने पर उपादान की राशि का भुगतान कोषागार द्वारा दिनांक 30.03.2014 को ही कर दिये जाने की जानकारी आरोपी को प्राप्त हुई। इसप्रकार कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 को उपदान के भुगतान होने के संबंध में इससे पूर्व कोई जानकारी थी ही नहीं। अतः आरोपी का यह स्पष्टीकरण की उपादान का भुगतान होने के पश्चात उसके एवज में रिश्वत मांगने का क्या औचित्य है, स्वीकारयोग्य नहीं है। स्व0 मुंशी अहमद की दिनांक 03.09.2013 को मृत्यु हुई एवं श्री हक दिसम्बर 2015 में योगदान दिये थे उसके बाद अप्रैल 2016 तक उपदान के भुगतान के संबंध में पत्राचार/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर स्व0 मुंशी अहमद के परिवार को गलत सूचना दिया गया, जो कार्यालय के कर्मियों की गलत मंशा एवं अनुचित लाभ पाने की कोशिश को दर्शाता है। अतः संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के तहत असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 1538 दिनांक 19.09.2022 द्वारा श्री हक से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई।

4. श्री हक द्वारा द्वितीय बचाव बयान अभ्यावेदन दिनांक 02.12.2023 समर्पित किया गया। श्री हक से प्राप्त बचाव बयान पर मुख्य अभियंता (निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण) का मंतव्य प्राप्त किया गया। मुख्य अभियंता (निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण) द्वारा समीक्षोपरान्त रिश्वत लेने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के आधार पर श्री हक के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार किये जाने का मंतव्य अंकित किया गया। उक्त मंतव्य पर अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

5. अतः श्री ईफ्तखारूल हक, तदेन पत्राचार लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

31/08/24

(श्रीप्रकाश)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–112/2014 2382 /पटना, दिनांकः– 3.9.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/08/24

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–112/2014 2382 /पटना, दिनांक :– 3.9.24

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री ईफ्तखारूल हक, तदेन पत्राचार लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पताः–द्वारा–तुबा मंजीदा, नराब रोड, चंदवारा, प्रधान डाकघर, थाना–नगर मुजफ्फरपुर–842002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/08/24

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–112/2014 2382 /पटना/दिनांकः– 3.9.24

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/08/24

अभियंता प्रमुख

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in